✓ई–मेल/स्पीड–पोस्ट

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद्, उ0प्र0,
अनुभाग–5, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या– जी–252 /जी–5–41ए/2017, दिनांकः 28 जुलाई, 2017

विषयः– प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों को ऋण मोचन योजना के अंतर्गत संयुक्त खातों की भूमि में किसानों का तदर्थ अंश निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक परिषदादेश संख्या जी–226/जी–5–41ए/17, दिनांक 17 जुलाई, 2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके प्रस्तर–3 में यह उल्लेख किया गया है कि "राजस्व निरीक्षक द्वारा लेखपाल की रिपोर्ट तथा ग्राम राजस्व समिति के सदस्यों के परामर्श एवं स्थानीय जाँच के आधार पर शत–प्रतिशत अंश का निर्धारण किया जाएगा।"

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत आवेदक द्वारा दिये गये शपथपत्र की सूचना का सत्यापन करते हुए उसकी जोत के आधार पर ऋणमाफी की कार्यवाही की जानी है। यह कार्य न्यायिक न होकर एक प्रशासनिक कार्य है । अतः ऋणमोचन योजना को समयबद्ध ढंग से पूर्ण किये जाने की अपरिहार्यता के दृष्टिगत उक्त परिषदादेश दिनांक 17 जुलाई, 2017 को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि ऋणमोचन योजना के अन्तर्गत प्रशासकीय आधार पर तदर्थ अंश निर्धारण हेतु यथासम्भव ग्राम राजस्व समिति के सदस्यों का परामर्श प्राप्त किया जाना वांछनीय तो होगा परन्तु अनिवार्य नहीं होगा तथा इस योजना के अन्तर्गत किये गये तदर्थ अंश निर्धारण के आधार पर सम्बन्धित कृषक को कोई भौमिक अधिकार भी प्राप्त नहीं होंगे।

साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि ऋणमोचन योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित कृषक से शपथपत्र में इस आशय की वचनबद्धता प्राप्त कर ली जाय कि शपथपत्र में दी गयी सूचना के गलत पाये जाने की स्थिति में अथवा न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अंश निर्धारण से भिन्नता की दशा में ऋणमोचन योजना के अन्तर्गत अपात्र व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गयी छूट की धनराशि ब्याज सहित वसूल की जा सकेगी तथा शपथपत्र में असत्य सूचना देने के लिए उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

कृपया तद्नुसार ऋणमोचन योजना के अन्तर्गत समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित कराएँ।

भवदीय,

28/7/17
(महेन्द्र सिंह)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।